फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.

प्रार्थी **अप्रार्थी**

1 श्री समाराम पुत्र श्री चन्दाराम बनाम 1 सरकार जरिए, तहसीलदार सिरोही
जाति घांची नि. जावाल
तहसील व जिला सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट रा.प्रा.पत्र सं. 151/2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर वकील श्री अशोक पूरोहित व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/737 दिनांक 16–01–2023 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही के प्राप्त जवाब अनुसार मौजा जावाल के जमाबंदी खाता संख्या 142 खसरा संख्या 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806 रकबा क्रमशः 0.2900, 0.9600, 4.0000, 14.0200, 0.2300, 0.2000, 1.6000 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 21.3000 हेक्टेयर में प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खाते में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा जावाल के राजस्व खाता संख्या 142 खसरा संख्या क्रमशः 798 से 804 व 608 में प्रार्थी का नाम समरथा पुत्र चन्दा के स्थान पर समाराम पुत्र चन्दाराम संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	